Shri D. C. Sharma: Sir, I wanted to say a few words.

Mr. Deputy-Speaker: If he wanted, he could have stood up.

Shri Supakar: It is not necessary because the hon. Minister agrees with his motion.

16·50 hrs.

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 198) by Shrimati Subhadra Joshi

Shrimati Subhadra Joshi (Ambala): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा हम लोगों ने एक विवाह होने के बाद यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करे तो उसको हमने क्रिमिनल ला का आफेंस बना दिया है। इस वर्तमान विधेयक में मांग की गई है कि एक से अधिक पत्नी रखना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाय। इस तरह हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला कदम था जिसके कि जरिये स्त्रियों की कुछ नजात मिली और कुछ रिलीफ मिला।

आज तक हमारे यहां यह प्रथा थी कि कोई पुरुष या कोई स्त्री, वैसे स्त्रियों में यह प्रथा नहीं थी लेकिन पुरुषों में खास करके यह प्रथा प्रचलित थी कि अगर कोई पुरुष एक शादी करने के बाद चाहे वह दूसरी शादी करे, तीसरी शादी करे या चौथी शादी ही क्यों न करे तो उस पर कोई रोक नहीं थी। तलाक हमारे यहां नहीं था और उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी पुरुष अपनी पहली बीवी को जब भी चाहे वह उसे छोड़ सकता था और उसको मायके भेज देता था और चाहे तो उसकी परवरिश करता था और चाहे तो परवरिश नहीं करता था और वह अपनी दूसरी या तीसरी शादी कर सकता था। जब कोई लड़का अपनी दूसरी शादी करता था तो लड़के के मां-बाप जाते थे, उसके भाई, बहिन जाते थे और उसकी शादी में रिश्तेदार और जाति बिरादरी वाले भी जमा होते थे और शामिल होते थे। उस अभागी लड़की का बाप अपनी पगड़ी तक उतार कर उसके पैरों पर रख देता था ताकि वह उसकी लड़की पर रहम खाये और उसको छोड़ कर दूसरी शादी न करे लेकिन उसको दूसरी शादी से बाज रखने के लिये कोई कानूनी पाबन्दी नहीं थी और यह उसकी मर्जी पर होता था कि वह दूसरी शादी करे या न करे लेकिन उसके लिये दूसरी शादी करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं थी। हमारे देश के इतिहास में पहली दफा ऐसा कानून बना है कि एक पत्नी के रहते कोई भी पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता। हम लोगों ने देश के कोने कोने में घूम करके अपनी बहिनों को विश्वास दिलाया कि अब उनके साथ इस तरह की बेइन्साफी और अन्याय नहीं होगा। कानून पास होने से पहले और कानून पास होने के बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि कानून अब ऐसा बन गया है कि एक पत्नी के रहते हुये कोई पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता।

पहले जब लोग दूसरी शादी करते थे तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास शिकायतें आती थीं, कि यह पुरुष लोग किस किस तरह के बहाने करके दूसरी शादी कर लिया करते थे। कोई तो यह कहता था कि मैं दूसरी शादी इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मुझको अपनी पहली पत्नी से दहेज नहीं मिला तो कोई कहता था कि मैंने अपनी पहली बीवी को इसलिये छोड़ दिया क्योंकि उसके बच्चा नहीं होता था तो कोई कहता था कि बच्चे तो होते हैं मगर लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और इसलिये मैं दूसरी शादी करने पर मजबूर हूं। और कोई कहता था कि मैं दूसरी शादी इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मेरी पहली बीवी बीमार रहती है। यह बात बढ़ते बढ़ते

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

इतनी चल गई कि एक जमाना ऐसा आया कि कोई भी बहाना नहीं, जब चाहा दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को छोड़ दिया। आखिर हम स्त्रियों के साथ यह जो पुरुषों द्वारा अन्याय होता था, उसकी ओर देश और राष्ट्र का ध्यान गया और यह हिन्दू स्त्रियों के लिये पहली दफा ऐसा कानून बनाया कि एक पत्नी के रहते हुये कोई पुरुष दूसरी शादी नहीं कर सकता है और इसी तरह एक पति के रहते हुये कोई स्त्री भी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। हमने हिन्दू मैरिज ला में यह कानून पास कर दिया कि एक पत्नी के रहते हुये अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वह क्रिमिनल आफेंस होगा और कानून के मुताबिक वह आदमी ज्यादा से ज्यादा सात साल के लिये जेल भेजा जा सकता है और अगर वह दूसरी शादी धोखा देकर करता है और इस बात को छिपा कर करता है कि उसकी पहली शादी हो चुकी है तो उसको कानून के मुताबिक दस साल तक की भी सजा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में यह कहना है कि पिछली दफा जब यह कानून पास हुआ तो इसमें एक बड़ी भारी कमी रह गई थी और वह कमी यह थी कि उसमें इस आफेंस को कौगनिजेबुल आफेंस नहीं बनाया था और अभी तक जो पति एक से अधिक पत्नी रखता है तब असन्तुष्ट पत्नी को मजिस्ट्रेट के पास शिकायत भेजनी पड़ती है उसमें पैसा भी खर्च करना पड़ता है। हमारे कानून में यह कहा गया था कि उसके लिये अगर उसकी पहली बीवी मुकद्दमा चलाना चाहे तो वह मुकद्दमा चला सकती है लेकिन किसी और शिकायत की बिना पर यह मुकद्दमा नहीं चल सकता है। मेरा यह कहना है कि यह जो कमी रह गई थी यह कमी कोई स्त्रियों के साथ इन्साफ करने की नीति में किसी तरह की कमी के कारण से नहीं रह गई थी बल्कि यह ओवरसाइट से रह गई थी और और इस विधेयक द्वारा उस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। जब यह पहला कानून पास हो गया और उसके होते हुये भी जब पुरुष लोग एक बीवी के रहते हुये भी दूसरी शादी करने लगे तो दिल में एक गुस्सा पैदा हुआ और हम लोग सब दौड़े। और पुलिस से कहा कि यह दूसरी शादी करने लगा है। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमने डिप्टी कमिश्नर से कहा। उन्होंने भी कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमने ला मिनिस्टर से आकर कहा कि आपने कानून तो पास कर दिया मगर ये लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ला मिनिस्टर ने कहा कि वह गलत कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनसे कहो कि वह लिख कर भेजें कि वह कुछ नहीं कर सकते। उनका भी यह ख्याल था कि शायद इसको कागनिजेबिल बनाया गया है। जब दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने लिख कर भेजा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यह आफेंस कागनिजेबिल नहीं बनाया गया है तो मिस्टर पाटस्कर ने जो कि उस वक्त ला मिनिस्टर थे कहा कि हम इसको स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीज्योर में अमेंडमेंट किया जाये। इसलिये यह बिल आज मैं हाउस के सामने लायी हूं।

मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई बीवी अपने पति पर इस तरह से मुकद्दमा नहीं चला सकती। आज हमको सोचना यह चाहिये कि हम बाईगेमी को आफेंस बनाना चाहते हैं या नहीं, हम उसको रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते। सचमुच में हमारी उसको रोकने की नीयत है या हमने सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई दिखाने के लिये कर दी है? आज बीवी के लिये अपने पति के खिलाफ मुकदमा करना मुमकिन नहीं है। जो बीवी घर में मौजूद हो जब पति दूसरी शादी करे तो वह उसके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकती। या तो वह पहले ही घर छोड़ कर

चली जाये और अलग जाकर रहे तब तो दूसरी बात है, नहीं तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी अगर बीवी घर में रहे और पति पर मुकदमा कर दे कि उसने दूसरी शादी की है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको दस साल तक की सजा हो सकती है। यहां पर बहुत से पति मौजूद हैं। वह अन्दाजा लगा सकते हैं कि ऐसी हालत में वे घर जाकर पत्नी का क्या हशर करेंगे।

एक और चीज की हमने इजाजत नहीं दी है। जब डाइवोर्स का सवाल इस हाउस और सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश था तब कई बार यह सवाल आया कि पत्नी की रजामन्दी से डाइवोर्स होना चाहिये। तो उस वक्त कहा गया कि अगर हम ऐसा छोड़ देंगे तो उसको पीट पाट कर, जबरदस्ती करके, प्रेशरडाल कर उसकी कंसेंट ले ली जायेगी। तो हमने इस चीज को भी नहीं रखा कि पत्नी की इजाजत से भी पति डाइवोर्स कर सकता है। आज लोगों को शायद यह वहम है कि अगर वह बीवी से लिखा लें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को इसी तरह छोड़ देते हैं कि अगर बीवी मुकदमा करे तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वह होगा कि हम वापस उसी जगह पर आ गये कि बीवी की इजाजत से पति दूसरी शादी कर सकता है। क्योंकि अगर वह मुकदमा नहीं कर सकती तो इसके मानी इजाजत देने के ही हो जाते हैं।

हम लोगों के सामने ऐसे बहुत से केसेज हैं और मैं समझती हूं कि जो बहिनों की मुसीबतों में दिलचस्पी लेते हैं उन सब के सामने ऐसे केसेज होंगे। मेरे सामने दिल्ली का एक केस आया। वह एक वकील की बीवी है। वह मेरे पास आयी। उसके सारे हाथों पर नोल पड़े हुये थे। उसने कहा कि उसके पति के पास एक पंखा है जिससे वह उसका हाथ दबाता है और तलवार और बन्दूक दिखाकर धमकाता है और कहता है कि बाजार से स्टाम्प पेपर लाओ और उस पर लिख कर दे दो कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूं, मैं बच्चों के लिये और अपने लिये कुछ नहीं मांगती, मुझे कोई नहीं निकाल रहा है, मैं खुशी खुशी घर से चली जा रही हूं। आज हमारे यहां यह हाल है। हमारी बहिनें आज इतनी आजाद नहीं हैं। न वे इकानमिकली इतनी आजाद हैं और न उनमें इतनी जुर्रत है, न इतनी हिम्मत है और न कोई उनके मामले में दखल दे सकता है। हमने आज इसको क्रिमिनल आफेंस बना दिया है और उम्मीद करते हैं कि वह बहिन अदालत में जाये और मुकदमा करे, वकील की फीस दे, रोज गवाहों को जमा करे और फिर घर में वापस आ जाये। क्या वह घर में आकर पति से यह डिसकस करेगी कि मुकदमा किस स्टेज पर है और पतिदेव को कितनी सजा होने वाली है? ऐसे घर में वह नहीं रह सकती। इसलिये मैं चाहती हूं कि हाउस इस चीज पर गौर करे कि अगर हम सचमुच में इसको आफेंस बनाना चाहते हैं और इसके बारे में सीरियस हैं तो हमें क्या करना चाहिये। अगर सीरियस नहीं हैं तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर हम उसके बारे में सीरियस हैं तो हमको इस कानून को ऐसा बनाना चाहिये कि जिसमें बहिनें सचमुच में फायदा उठा सकें। आज हालत यह है कि कोई औरत मुकदमा करने की जुर्रत नहीं रखती और न उसके पास वकीलों को देने के लिये पैसा होता है।

17.00 hrs.

समय बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि दूसरे मुल्कों में जहां कि बहिनें बहुत तरक्की किये हुये हैं, जहां कि बहिनों में बहुत जुर्रत है, जहां स्त्रियां इकानमिकली भी आजाद हैं, उन मुल्कों में भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जैसा कि हमने बनाया है। हमारे यहां कि बैकवर्ड लोगों को जिस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाता है, जरूरत इस बात की थी कि स्त्रियों को इस मामले में उनसे भी ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाये।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

क्या मैं खत्म करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप दो चार मिनट में खत्म कर सकती हैं तो कह लें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : नहीं मुझे ज्यादा वक्त लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर आप इसके बाद जारी रखें ।

17.01 hrs.

CO-OPERATIVE SUGAR* FACTORIES IN MADRAS

Shri N. R. Muniswamy (Vellore): Mr. Deputy-Speaker, I am raising this half-an-hour discussion to focus the attention of the Government with regard to certain problems which have come to stay as a result of the inaction of the Government. If they had taken proper steps, the present crisis in the sugar trade would not have happened. The question I asked on 17th December, 1958 was:

"Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange that has to be provided for all the applications for setting up of cooperative sugar factories in Madras State;

(b) how much has so far been sanctioned;

(c) whether the sugar factory in North Arcot District made any progress as per schedule indicated to the Central Government;

(d) if not, the reasons for the delay;

(e) whether the amount expected of the shares was subscribed to the full; and

(f) whether any permits have been granted for import of equipment and machinery?"

The answer was as follows:

"The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): (a), (b) and (f). The requisite foreign exchange to the extent of Rs. 1·5 crores has been provided to the three co-operative sugar factories.

(c) and (d). The factory was expected to complete the project by 31st December, 1958 but due to the delay in securing plant and machinery the factory is now expected to go into operation during the 1959-60 season.

(e) Out of the subscribed capital of Rs. 11·83 lakhs for the North Arcot District Co-operative Sugar Factory the shareholders have paid Rs. 10·13 lakhs. In addition the State Government has contributed Rs. 10 lakhs towards the share capital."

As early as 1954, Shri Kidwai made an announcement in this House with a view to make India self-sufficient in sugar. He wanted to extend the existing units and also to establish new co-operative units. He thought that the co-operative enterprises should come to the forefront and that Government should render all possible help. We are aware that the sugar industry is one of the most important industries in the country from the point of view of employment because it employs as many as 20 million cultivators for growing cane and

*Half-an-hour Discussion.